न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख फैसला
13.05.2023

मि0नं0
29/2023

उनवान

1 लाडबाई पुत्री स्व0 धनकंवर जाति मीना निवासी रतनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादनी)

बनाम

1- राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वादीनी की ओर से -- श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से-- तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें में खाता सं0 197 के खसरा नम्बर 1029 कुल किता 1 की 1.13 हेक्टर भूमि ग्राम बडौद में खाता सं0 305 पर खसरा नम्बर 340 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 955 की 1.72 हेक्टर कुल 2 किता की 1.98 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम राजबेला दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2075--2078 संलग्न है।

यह कि उक्त आराजी में वादनी का नाम लाडकंवर दर्ज कर दिया गया है जबकि वादीनी का समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड व बैंक पास बुक आदि में नाम लाडबाई है। जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम लाडबाई के स्थान पर लाडकंवर दर्ज कर दिया है जो गलत है जिसके कारण वादनी का भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नही कर सकेगी। इस सम्बन्ध में वादनी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 17.01.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:-

अतः वादनी ने निवेदन किया है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें में खाता सं0 197 के खसरा नम्बर 1029 कुल किता 1 की 1.13

तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)

तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)

तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद, कोटा (राज.)

हेक्टर भूमि तथा ग्राम बडौद में खाता सं0 305 पर खसरा नम्बर 340 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 955 की 1.72 हेक्टर कुल 2 किता की 1.98 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम लाडकंवर के स्थान पर लाडबाई दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में लाडकंवर एवं लाडबाई एक ही महिला होना प्रकट किया है। वादनी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र एवं अन्य सहखातेदार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल फाईल है।

वादनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातें में खाता सं0 197 के खसरा नम्बर 1029 कुल किता 1 की 1.13 हेक्टर भूमि ग्राम बडौद में खाता सं0 305 पर खसरा नम्बर 340 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 955 की 1.72 हेक्टर कुल 2 किता की 1.98 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में लाडकंवर के स्थान पर लाडबाई पुत्री धनकंवर दर्ज किया जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली मे अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)